उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर०एम०ए०नं0-26/2011-12

मु0 मुर्शीद वगैरह

बनाम

झारखण्ड सरकार एवं अन्य

आदेश

दिनांक 6/2/2020

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता मु0 मुर्शीद, पे0 शेख असगर वो मु0 सज्जाद, पे0 शेख असगर वो मु0 असगर, पे0 स्व0 शेख जुम्मन मंडल, सा0-जगतपुर, अंचल-बसंतराय, जिला-गोड्डा के आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0ई0आर0 केश नं0-74/2009-10(संझली टुड्डू बनाम शेख मुर्शीद वगैरह) आदेश दिनांक-23.07.2011 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है।

अपीलकर्त्तागण का कथन है कि वादगत जमीन मौजा-जगतपुर, जमाबंदी नं0-70 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में लखन टुड्डू वो टीका टुड्डू वो बरिया टुड्डू वो रान टुड्डू वो पैरू टुड्डू पेशरान झेनका टुड्डू वो किशुन टुड्डू पे0-लखन टुड्डू के नाम से दर्ज है। जमाबंदी रैयत बरियान टुड्डू को तीन पुत्र क्रमशः जेठा टुड्डू, मंगल टुड्डू एवं लाल टुड्डू हुए। इनमें से लाल टूडू की मृत्यु नावल्द हो गई है। उत्तरवादी संझली टुड्डू अपने को जेठा टुड्डू की पुत्री एवं गत जमाबंदी रैयत बरियार टुड्डू की पोती बताते हुए संथाल परगना काश्तकारी (पुरक) अधिनियम-1949 की धारा-20 एवं 40 के तहत वादगत जमीन से अपीलकर्त्ता को उच्छेद करने के लिए वाद दायर किया। निम्न न्यायालय के उच्छेदी वाद में अपीलकर्त्ता की ओर से कारण-पृच्छा दाखिल किया गया कि उत्तरवादी द्वितीय पक्ष संझली टुड्डू अपने परिवार को छोड़कर रघु यादव से शादी कर ली है। आवेदिका उस जमाबंदी की वंशज नही रही क्योंकि उस जमाबंदी में पुरुष उत्तराधिकारी है एवं पुरुष उत्तराधिकारी के रहते महिला को अपने पिता की सम्पति पर कोई अधिकार नहीं बनता है। उनके द्वारा कारण-पृच्छा में यह भी उल्लेख किया गया कि वादगत जमीन पर अपीलकर्त्ता का पुराना आवासीय मकान है एवं उस पर उनका दखल 1949 के बारह वर्ष पूर्व से लगातार चला आ रहा है और

दखल के आधार पर अपीलकर्त्ता को उस जमीन पर अधिकार प्राप्त हो गया है इसलिए संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम–1949 की धारा–20 एवं 40 लागू नहीं होगा। लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने अपीलकर्त्ता के इन सारी तथ्यों पर विचार किये बिना ही अपीलकर्त्ता को वादगत जमीन से उच्छेद करने के लिए नियम के विपरीत आदेश पारित किया है। अपीलकर्त्ता ने निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी राज्य की ओर से विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा प्रत्युत्तर दाखिल किया गया है। उनका कथन है कि निम्न न्यायालय द्वारा मौजा–जगतपुर के जमाबंदी नं0–70 के दाग नं0–359 रकवा–00–02–05 धुर जमीन से अपीलकर्त्ता को उच्छेद किया गया है। क्योंकि उक्त जमीन गत सर्वे के अनुसार रैयती जमीन है और संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम–1949 की धारा–20 के प्रावधान के अनुसार रैयती जमीन का हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता है। अपीलकर्त्ता ने वादगत जमीन को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम –1949 की धारा–20 का उल्लंघन कर अवैध ढंग से दखल कर लिया है। इस लिए निम्न न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। उन्होने अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

उपरोक्त तथ्यों, अंचल अधिकारी, बसंतराय से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–जगतपुर जमाबंदी नं0–70 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में लखन टुडू वो टीका टुडू वो बरिआर टुडू वो राम टुडू वो पारू टुडू पेशरान डेमडा टुडू वो किशुन टुडू वल्द लखन टुडू के नाम से दर्ज है। अपीलकर्त्ता ने वादगत जमाबंदी नं0–70 के दाग नं0–359 रकवा–00–02–05 धुर जमीन प्राप्त करने का दावा किया है और उनका यह दावा है कि प्रतिकुल प्रभाव से उनका उस जमीन पर दखल होने के कारण उनका अधिकार कायम हो गया है। लेकिन उन्होने सादा कुर्फा कागजात के अलावा प्रतिकुल प्रभाव से दखल होने का कोई भी साक्ष्य जनित कागजात दाखिल नहीं किया गया है, इससे स्पष्ट है कि अपीलकर्त्ता का दखल अवैध है और यह संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम–1949 की धारा–20 के विपरीत है। इस आलोक में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में निम्न न्यायालय का आदेश का समर्थन करते हुए अपीलकर्ता के अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

लिखाथी एवं शुद्ध किया।

6/2/2020
उपायुक्त,
गोड्डा।

6/2/2020
उपायुक्त,
गोड्डा।

DY No. - 24
05/06/2020

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2022.11.21 16:41:35 +05:30
Location: 172.17.208.1